न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

(1) द्वितीय संख्या–41 / 2015–16 अन्तर्गत धारा–331 जं0वि0अधि0

1 – रिचर्ड व्हीलर पुत्र डब्लू व्हीलर, निवासी–देवदारस पपड़सली, जिला अल्मोड़ा।

बनाम

1– उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, अल्मोड़ा, 2. अमेरिकन मैथोडिस्ट मिशन द्वारा जिला प्रबंधक, अल्मोड़ा, 3. ग्राम सभा, पपड़सली, अल्मोड़ा, 4. कार्यकारी परिषद, बोर्ड ऑफ मैथोडिस्ट चर्च इन इण्डिया, निवासी–मैथोडिस्ट सैन्टर–21 वाई0एम0सी0 रोड़, मुम्बई, 5. अमनदीप सिंह पुत्र गुरूचरन सिंह, निवासी–16ए, साधना कालोनी, मॉडल टाउन, तहसील व जिला बरेली, 6. मानवेन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह छाबड़ा, निवासी–77 अशोक कालोनी, तहसील व जिला बरेली।

अधिवक्ता अपीलकर्ता : श्री के0एन0 नौटियाल।

अधिवक्ता उत्तरदातागण : श्री साकेत खान एवं श्री पी0के0 गर्ग।

अधिवक्ता राज्य सरकार : श्री विनोद कुमार डिमरी, जिला शा0अधि0(रा0)

(2) द्वितीय संख्या–163 / 2015–16 अन्तर्गत धारा–331 जं0वि0अधि0

1 – अमनदीप सिंह पुत्र गुरूचरन सिंह, निवासी–16ए, साधना कालोनी, मॉडल टाउन, तहसील व जिला बरेली, 2. मानवेन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह छाबड़ा, निवासी–77 अशोक कालोनी, तहसील व जिला बरेली, 3. कार्यकारी परिषद, बोर्ड ऑफ मैथोडिस्ट चर्च इन इण्डिया, निवासी–मैथोडिस्ट सैन्टर–21 वाई0एम0सी0 रोड़, मुम्बई द्वारा मुख्तारेखास अमन खण्डेलवाल उर्फ अमन जसोरिया व्ययस्क पुत्र स्व0 अशोक खण्डेलवाल, निवासी–35 ए / 4, रामपुर बाग, बरेली।

बनाम

1– रिचर्ड व्हीलर पुत्र स्व0 डब्लू व्हीलर, निवासी–पपड़सली, जिला अल्मोड़ा, 2. राज्य सरकार उत्तरांचल द्वारा कलेक्टर, अल्मोड़ा, 3. ग्राम सभा पपड़सली, अल्मोड़ा द्वारा ग्राम सभा, पपड़सली, अल्मोड़ा, 4. अमेरिकन मैथोडिस्ट मिशन द्वारा जिला अधीक्षक, अल्मोड़ा।

(3) द्वितीय संख्या–164 / 2015–16 अन्तर्गत धारा–331 जं0वि0अधि0

1 – अमनदीप सिंह पुत्र गुरूचरन सिंह, निवासी–16ए, साधना कालोनी, मॉडल टाउन, तहसील व जिला बरेली, 2. मानवेन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह छाबड़ा, निवासी–77 अशोक नगर कालोनी, तहसील व जिला बरेली, 3. कार्यकारी परिषद, बोर्ड ऑफ मैथोडिस्ट चर्च इन इण्डिया, निवासी–मैथोडिस्ट सैन्टर–21 वाई0एम0सी0 रोड़, मुम्बई द्वारा मुख्तारेखास अमन खण्डेलवाल उर्फ अमन जसोरिया व्ययस्क पुत्र स्व0 अशोक खण्डेलवाल, निवासी–35ए / 4, रामपुर बाग, बरेली।

बनाम

1– रिचर्ड व्हीलर पुत्र स्व0 डब्लू व्हीलर, निवासी–पपड़सली, जिला अल्मोड़ा, 2. राज्य सरकार उत्तरांचल द्वारा कलेक्टर, अल्मोड़ा, 3. ग्राम सभा पपड़सली, अल्मोड़ा द्वारा ग्राम सभा, पपड़सली, अल्मोड़ा, 4. अमेरिकन मैथोडिस्ट मिशन द्वारा जिला अधीक्षक, अल्मोड़ा।

उपस्थित : श्री एस0 रामास्वामी, अध्यक्ष।

अधिवक्ता अपीलकर्ता अपील संख्या–163 एवं 164: श्री साकेत खान एवं श्री पी0के0 गर्ग।

अधिवक्ता उत्तरदाता सं0–1 अपील संख्या–163 एवं 164: श्री के0एन0 नौटियाल।

अधिवक्ता राज्य सरकार : श्री विनोद कुमार डिमरी, जिला शा0अधि0

निर्णय

उपरोक्त द्वितीय अपीलें विद्वान अपर आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल द्वारा प्रथम अपील संख्या–31/2013–14, 5/14–15 एवं अपील संख्या–32/13–14/4/14–15 रिचर्ड व्हीलर बनाम सरकार आदि मे पारित एक ही निर्णयादेश दिनांक 29–09–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

इन द्वितीय अपीलों की पृष्ठभूमि निम्न प्रकार है:–

अपीलार्थी/वादी रिचर्ड व्हीलर द्वारा भूमि खाता संख्या–1 के खसरा नं0–128 से 130, 132, 134 से 206, 208 से 216 एवं 217 कुल क्षेत्रफल 1.705 है0 स्थित ग्राम पपड़सली, पट्टी खासपर्जा, तहसील व जिला अल्मोड़ा मे विगत 40 सालों से विपरीत कब्जे के आधार पर घोषणात्मक वाद पत्र दिनांक 01–06–2006/02–06–2006 को सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, अल्मोड़ा के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह वादग्रस्त भूमि विगत 40 वर्षों से प्रतिकूल अध्यासन के आधार पर बदस्तूर काबिज चला आ रहा है जिसकी जानकारी अमेरिकन मैथोडिस्ट मिशन को भी है, कि वादी ने उक्त भूमि में बागीचा बनाया है तथा भूमि की घेराबंदी भी की है, कि मिशन के पदाधिकारियों द्वारा पूर्व में इस कब्जे के बावत धमकियां भी दी है तथा उच्चाधिकारियों से शिकायतें भी की है लेकिन मेरा कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है, कि 40 वर्षों से लगातार काबिज होने एवं इस दौरान मूल वाद में प्रतिवादी संख्या–4 द्वारा मियाद अन्दर बेदखली की कार्यवाही न किये जाने के कारण प्रश्नगत भूमि में वादी के भौमिक अधिकार परिपक्व हो गये है, कि माह जनवरी, 2009 में अल्मोड़ा कचहरी जाने पर यह ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति अमन जसोरिया तथा कथित मुख्तार मैथोडिस्ट चर्च इन इण्डिया ने सांठगांठ कर वादग्रस्त भूमि का बैनामा दिनांक 12–01–2009 को मूलवाद में प्रतिवादी संख्या–5 व 6 के पक्ष में कर दिया है, कि बिना स्वामित्व व कब्जे उक्त मैथोडिस्ट चर्च इन इण्डिया को दावी भूमि को उक्त मुख्तार के माध्यम से विक्रय करने का अधिकार नही है। बैनामा अवैध व अप्रभावी है, कि वादग्रस्त भूमि में विक्रेता व क्रेता का कोई स्वत्व नही है न ही कोई कानूनी अधिकार दोनो को उक्त विवादित भूमि बेचने का है। अतः वादी को वादग्रस्त भूमि पर भूमिधरी अधिकार प्रदान कर तदनुसार अभिलेखों में अंकित किया जाय।

उक्त वाद को विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, अल्मोड़ा ने विधिवत पंजीकृत कर पक्षकारों को नोटिस जारी किये जिसके विरूद्ध मूल वाद में प्रतिवादी संख्या–2 ने अमेरिकन मैथोडिस्ट मिशन द्वारा दिनांक 21–12–2006 को अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया जिसमें वाद पत्र के अभिकथनों को अस्वीकार किया गया। दिनांक 04–03–2008 को मूलवाद में प्रतिवादी संख्या–4 द्वारा भी अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा वादपत्र के कथनों को अस्वीकार किया गया एवं दिनांक 13–01–2012 को मूलवाद में प्रतिवादी संख्या–5 व 6 ने अपना लिखित कथन एवं प्रतिदावा प्रस्तुत किया जिसमें वादपत्र के सभी

प्रस्तरों को अस्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि से वादी रिचर्ड व्हीलर को अन्तर्गत धारा–209 जं0वि0अधि0 के अन्तर्गत बेदखली के आदेश पारित करने हेतु अनुरोध किया गया।

विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, अल्मोड़ा ने पक्षकारों को विधिवत सुनने एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर वाद के निस्तारण हेतु कुल 11 वाद बिन्दु नियत किये गये तथा प्रत्येक वाद बिन्दु का विवेचन व विश्लेषण कर अन्ततः दिनांक 06–01–2014 को वादी रिचर्ड व्हीलर का वाद निरस्त कर प्रतिवादी संख्या–5 व 6 का प्रतिदावा स्वीकार किया तथा 30 दिन के भीतर वादग्रस्त सम्पत्ति का सम्पूर्ण अध्यासन प्रतिवादी संख्या–5 व 6 को सुपुर्द करने के आदेश पारित किये।

आदेश दिनांक 06–01–2014 के विरूद्ध रिचर्ड व्हीलर द्वारा अपील संख्या–31 व 32 वर्ष 2013–14 रिचर्ड व्हीलर बनाम सरकार आदि आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल के समक्ष प्रस्तुत की गई। विद्वान अपर आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल ने अपने आदेश दिनांक 29–09–2015 से अपील संख्या–31/13–14, 5/14–15 को आंशिक रूप से अस्वीकार करते हुए अपीलार्थी के प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भौमिक अधिकार के अनुतोष को अस्वीकार किया गया तथा अपील संख्या–32/13–14, 4/14–15 को स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 06–01–2014 से मूलवाद में प्रतिवादी संख्या–5 व 6 को प्रतिदावा के अन्तर्गत प्रदत्त अनुतोष को निरस्त किया गया।

उपरोक्त आदेश दिनांक 29–09–2006 के विरूद्ध रिचर्ड व्हीलर द्वारा सदस्य न्यायिक, राजस्व परिषद, सर्किट कोर्ट, नैनीताल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जिसे आदेश दिनांक 18–08–2017 से सुनवाई हेतु राजस्व परिषद, देहरादून में स्थान्तरित किया गया। विद्वान अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध अमनदीप आदि द्वारा दो अपीलें क्रमशः–163 व 164 वर्ष 2015–16 अमनदीप आदि बनाम रिचर्ड व्हीलर आदि इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। तीनों अपीलों की विषयवस्तु व पक्षकार समान होने के दृष्टिगत इन्हें आदेश दिनांक 29–11–2007 से एक्जाई की गई।

मैंने अपीलकर्तागण एवं उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ताओं तथा राज्य सरकार की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व की बहस को सुना एवं उपलब्ध सभी पत्रावलियों का भली भांति अवलोकन किया।

अपीलकर्ता संख्या–41 के विद्वान अधिवक्ता के लिखित एवं मौखिक बहस का सार यह है कि वादी रिचर्ड व्हीलर का ये कथन है कि वे ग्राम पपड़सली, तहसील व जिला अल्मोड़ा का स्थायी निवासी है एवं उसके कब्जे में ग्राम पपड़सली, पट्टी खासपर्जा के जेड ए की खतौनी खाता नं0–1 की 1.705 है0 भूमि कब्जे में है जो राजस्व अभिलेखों में अमेरिकन मेथोडिस्ट मिशन के नाम पर दर्ज है। वादी द्वारा मुख्यतः ये आधार लिया गया है कि वह ग्राम पपड़सली के जेड ए खतौनी खाता नं0–1 के खसरा नम्बरान 128 से 130, 132, 134 से 206, 208 से 216, 217 कुल रकबा 1.705 है0 भूमि में पिछले करीब 40 वर्षों से प्रतिकूल कब्जे पर

चला आ रहा है और इसकी जानकारी अमेरिकन मैथोडिस्ट मिशन को भी है जिसका कभी कोई कब्जा नही रहा है और न वर्तमान में है इस कारण वादी रिचड व्हीलर के प्रश्नगत भूमि में भौमिक अधिकार परिपक्व हो गये है और प्रतिवादी अमेरिकन मैथोडिस्ट मिशन का नाम कागजात माल से खारिज कर उसका नाम बतौर संक्रमणीय भूमि दर्ज होने योग्य है और इस आधार पर वादी द्वारा प्रश्नगत भूमि में स्वयं के स्वामित्व संबधित घोषणात्मक आज्ञप्ति की याचना की है।

अपीलकर्ता संख्या–163 व 164 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं मौखिक बहस का सार यह है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा जिलाधिकारी, अल्मोड़ा की जांच आख्या दिनांक 20–10–2009, नामांकन वाद संख्या–253/2008–09 अमनदीप सिंह बनाम बोर्ड ऑफ मैथोडिस्ट चर्च इन इण्डिया में न्यायालय तहसीलदार, अल्मोड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–04–2010, दीवानी वाद संख्या–64/2003 अमेरिकन मैथोडिस्ट मिशन आदि बनाम पूरन सिंह में न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन अल्मोड़ा द्वारा पारित निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 16–04–2012 व मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रथम अपील संख्या–60/2012 पूरन सिंह बनाम अमेरिकन मैथोडिस्ट मिशन, मैथोडिस्ट चर्च में पारित निर्णय दिनांक 22–01–2015 का संदर्भ लिया जाना अति आवश्यक है जिसमें विभिन्न न्यायालयों व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जांच के उपरान्त यह स्पष्ट निष्कर्ष दिया कि एक्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ मैथोडिस्ट चर्च इन इण्डिया द्वारा अपीलार्थी संख्या–1 व 2 के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख दिनांक 19–01–2009 पूर्णतः विधि अनुकूल है और उसके आधार पर अपीलार्थीगण संख्या–1 व 2 वादग्रस्त सम्पत्ति में सम्पूर्ण स्वत्व हस्तान्तरित हुए और अपीलार्थीगण संख्या–1 व 2 वादग्रस्त सम्पत्ति के उस विक्रय विलेख दिनांक 19–01–2009 के आधार पर स्वामी हुए। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त आदेशों मुख्यतः मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के विपरीत जाकर जो निष्कर्ष अपीलार्थीगण संख्या–1 व 2 के विक्रय विलेख के सम्बन्ध में दिये है पूर्णतः विधिविरूद्ध है और प्रथम अपीलीय न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के विपरीत जाकर कोई निष्कर्ष देने का नही था जो मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना भी है।

विद्वान अपर आयुक्त ने अपने आक्षेपित निर्णयादेश में यह उल्लेख किया है कि वादी रिचड व्हीलर द्वारा दिनांक 05–10–2012 को विचारण न्यायालय के समक्ष दिये गये बयानों में यह स्वीकार किया है कि "वादग्रस्त सम्पत्ति जॉर्ज नादरार को भट्टे में मिली थी और रिचड व्हीलर ने वर्ष 1970 से जॉर्ज नादरार के साथ पुत्र की हैसियत से रहना शुरू किया। वादी द्वारा यह भी स्वीकार किया है कि जॉर्ज नादरार की वर्ष 1990 में मृत्यु हुई, उसके पश्चात वह उनकी पत्नी कैरोलीन नादरार के साथ भी बतौर पुत्र रहा। कैरोलीन नादरार की वर्ष 1993 में मृत्यु हुई थी और कैरोलीन नादरार ने उसके हक मे वसीयत की थी और उसी के आधार पर वह औपचारिक रूप से नादरार की सम्पत्ति पर काबिज हुआ।" यह भी उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त भूमि मूल रूप से अमेरिकन मैथोडिस्ट मिशन के नाम दर्ज है

और वाद में अमेरिकन मैथोडिस्ट मिशन प्रतिवादी संख्या–2 है और यह स्वीकार्य तथ्य है कि अमेरिकन मैथोडिस्ट मिशन एक पंजीकृत सोसायटी है और वादी/अपीलकर्ता की यह स्वीकारोक्ति की वादग्रस्त भूमि जॉर्ज नादरार को पट्टे में प्राप्त थी और पट्टे की वैधता वर्ष 1996 तक थी। वाद पत्र में किये गये 40 वर्षों के कब्जे के दावे के विपरीत है क्योंकि वादी/अपीलकर्ता की स्वीकारोक्ति के अनुसार वर्ष 1990 तक जॉर्ज नादरार व वर्ष 1993 तक कैरोलीन नादरार बतौर पट्टाधारक वादग्रस्त भूमि के कब्जाधारक थे और स्वयं वादी/अपीलकर्ता बतौर पुत्र पट्टाधारक के साथ निवास करता था अर्थात् वर्ष 1993 से पूर्व तक वादी/अपीलकर्ता का कब्जा नही माना जा सकता था और कैरोलीन नादरार की कथित वसीयत के आधार पर कब्जा होना स्वीकार है अर्थात् कब्जा सहमति से प्राप्त है। यह सहमति मूल खातेदार अमेरिकन मैथोडिस्ट मिशन की सहमति से प्राप्त होना भी कथित रूप से स्वीकार है। इस दृष्टि से प्रतिकूल कब्जे का कथन सिद्ध नही होता है। तद्नुसार वादी के भौमिक अधिकार के अनुतोष को अस्वीकार किया गया।

विद्वान अपर आयुक्त ने मूलवाद में प्रतिवादी संख–5 व 6 के प्रतिदावे को इस आधार पर निरस्त किया कि वादग्रस्त भूमि में अमेरिकन मैथोडिस्ट मिशन श्रेणी–1(क) संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज खातेदार हैं और यह स्वीकार्य तथ्य है कि वादग्रस्त भूमि उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 से आच्छादित है। उत्तरांचल (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950) (संशोधन) अधिनियम 2003 के द्वारा प्रतिस्थापित धारा–152 (क) की उपधार–1 निम्नानुसार है:–

"संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर द्वारा भूमि अंतरण हेतु कोई मुख्तारनामा ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकेगा जो धारा –171, 172, 174 अथवा 175 के अन्तर्गत आते है और ऐसा मुख्तारनामा ऐसे व्यक्ति के विद्यमान न होने की दशा मे किसी 'अन्य व्यक्ति के पक्ष में जिले के कलेक्टर की पूर्वानुमति से अथवा विदेश में रहने वाले व्यक्ति के मामले में भारतीय दूतावास की पूर्वानुमति से किया जा सकेगा।"

उक्त धारा 15 जनवरी, 2004 से प्रभावी हुई। संशोधित प्राविधानों के अनुसार भूमिधर द्वारा भूमि के अन्तरण हेतु मुख्तारनामा, धारा–171 से 175 के अन्तर्गत आने वाले विधिक उत्तराधिकारी के पक्ष में ही निष्पादित किया जा सकता है और ऐसे व्यक्ति के विद्यमान न होने की दशा में जिलाधिकारी की पूर्वानुमति से अन्य व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित किये जाने का प्राविधान किया गया है। दर्ज खातेदार एक संस्था अर्थात् कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अधिनियम की धारा–171 से 175 के अनुसार कोई विधिक उत्तराधिकारी नही हो सकता है इसलिए यह भी विचार किया जाना आवश्यक था कि क्या धारा–152 (क) के प्राविधानों के अन्तर्गत अन्य व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित मुख्यतारनामा के लिए जिलाधिकारी की पूर्वानुमति आवश्यक थी। यह भी उल्लेखनीय है कि कथित विक्रेता द्वारा पॉवर ऑफ एटोर्नी जिस व्यक्ति के पक्ष में की गई है उसके द्वारा पुनः पॉवर ऑफ एटोर्नी अमन जसोरिया के नाम बगैर किसी पूर्वानुमति के की गई है। धारा–152 के उल्लंघन होने की दशा में अधिनियम की

धारा–166/167 के प्रभावी होने से वादग्रस्त भूमि राज्यसात होने योग्य है विधिसंगत एवं विचारण योग्य है परन्तु इन अपीलों में इस बिन्दु पर विचार नही किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पक्षकार पृथक से कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र है।

इस द्वितीय अपील के निस्तारण हेतु निम्न तीन विधि के सारवान प्रश्न विरचित किये गये थे:–

1– क्या उत्तरदाता संख्या–1/वादी वादग्रस्त भूमि पर मूल खातेदार की सहमति के विरूद्ध अपना कब्जा सिद्ध कर पाया है अथवा क्या घोषणात्मक वाद लाने हेतु सक्षम है?

विद्वान सहायक कलेक्टर/परगनाधिकारी, अल्मोड़ा एवं विद्वान अपर आयुक्त, कुमाउं मण्डल, नैनीताल द्वारा अपने निर्णय व आज्ञप्ति में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वादी/उत्तरदाता संख्या–1 रिचड व्हीलर अवर न्यायालय में यह स्वीकारोक्ति की गई है कि वादग्रस्त भूमि जॉर्ज नादरार को पट्टे में प्राप्त थी और पट्टे की वैधता वर्ष 1996 तक थी वादपत्र में किये गये 40 वर्षों के कब्जे के दावे के विपरीत है क्योंकि वादी/अपीलकर्ता वर्ष 1990 तक जॉर्ज नादरार व वर्ष 1993 तक कैरोलीन नादरार पट्टेधारक के साथ थे अतः वर्ष 1993 से पूर्व वादी का कब्जा नही माना जा सकता है तथा कब्जा सहमति से प्राप्त है तथा प्रतिकूल कब्जे का कथन सिद्ध नही होता है। अवर न्यायालय में प्रस्तुत अभिलेखों से भी वादी का कब्जा सिद्ध नही है। तदनुसार वाद बिन्दु संख्या–1 अपीलार्थी रिचर्ड व्हीलर के विरूद्ध प्रतिकूल निर्णीत होता है।

2– क्या मानवेन्द्र सिंह व अमनदीप सिंह के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख दिनांक 19–01–2009 धारा–152 क जं0वि0अधि0 उत्तराखण्ड में यथा संशोधित तथा धारा–5 ए सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट से बाधित है?

जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–152क उत्तराखण्ड संशोधन में यह प्राविधानित किया गया है कि कोई भी भूमिधर पावर ऑफ एटोर्नी उन व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित कर सकता है जो इस अधिनियम की धारा–171, 172, 174 व 175 के अधीन अवधारित किये गये हैं इससे इतर पावर ऑफ एटोर्नी करने के लिए सम्बन्धित कलेक्टर की पूर्वानुमति आवश्यक होती। उक्त धाराओं के अधीन उत्तराधिकार का क्रम इस प्रकार अवधारित किया गया है– (क) विधवा, अविवाहित पुत्री (ख) माता व पिता (ग) निरस्त (घ) विवाहिता पुत्री (ड.) भाई और अविवाहित बहन जो क्रमशः एक ही पिता के पुत्र व पुत्री हों और पूर्व मृत भाई का पुत्र, जब पूर्व मृत भाई एक ही मृत पिता का पुत्र हो (च) पुत्र की पुत्री (छ) पितामही और पितामह (ज) पुत्री का पुत्र (झ) विवाहिता बहन (ञ) सौतेली बहन, जो एक ही मृत पिता की पुत्री हो (ट) बहन का पुत्र (ड) सौतेली बहन का पुत्र, जब सौतेली बहन एक ही मृत पिता की पुत्री हो (ड.) भाई के पुत्र का पुत्र (ढ) नानी का पुत्र (ण) पितामह का पुत्र।

आलोच्य प्रकरण में जो पावर ऑफ एटोर्नी के माध्यम से विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है वह अमेरिकन मैथोडिस्ट चर्च इन इण्डिया के मुख्तारेआम द्वारा किया गया है जो

कि एक सोसायटी के मुख्तारेआम है और अधिनियम की धारा–152क से आच्छादित नही है इस सम्बन्ध में अपीलकर्ता अमनदीप के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्याय व्यवस्था उत्तराखण्ड राज्य व अन्य बनाम गुरूराम दास एजुकेशन ट्रस्ट सोसायटी, 2012 (17) आर0डी0 675 जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 धाराएं–166, 167 एवं 154 शब्द उच्चारण 'कोई व्यक्ति''– की सीमा आच्छादित करता है मात्र नैसर्गिक व्यक्ति को–किसी विधिक व्यक्ति को शब्द उच्चारण में सम्मिलित करना का अभिप्राय नही है–कोई धर्मार्थ संस्था शब्द उच्चारण 'किसी व्यक्ति' शब्दार्थ में समाहित नही होगी– 'कोई औचित्य नहीं है सूचना जारी करने का अन्तर्गत धाराएं–166 एवं 167 अधिनियमाधीन–रिट न्यायालय ने आदेश भूमि को राज्य में निहित करने को उचित अभिखण्डित किया से स्पष्ट है कि धारा–171 से 175 में अवधारित व्यक्ति सोसायटी संदर्भ में प्रासंगिक नही है क्योंकि धारा–152क जीवित व्यक्ति के संदर्भ में ही प्रासंगिक है। सोसायटी के सम्बन्ध में अधिनियम मे स्पष्ट प्राविधान न होने के दृष्टिगत कानून में शून्यता परिलक्षित नही होती है, फलस्वरूप वाद धारा–5ए सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट से बाधित नही है। तद्नुसार विधि का यह सारवान प्रश्न मूलवाद में प्रतिवादी संख्या–4, 5 व 6 के विरूद्ध सकारात्मक निर्णीत होता है

3– क्या अधीनस्थ न्यायालयो के आदेश किसी तात्विक एवं विधिक अनियमितता से ग्रसित है?

वादों का सम्पूर्णता में परीक्षण/विश्लेषण के दृष्टिगत विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, अल्मोडा का निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 06–01–2014 विधिसम्मत है तथा विद्वान अपर आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल का आदेश उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के दृष्टिगत विधिक एवं तात्विक अनियमितता से ग्रसित है एवं अपास्त होने योग्य है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील संख्या–41/15–16 अस्वीकृत एवं अपील संख्या–163/15–16 एवं अपील संख्या–64/15–16 स्वीकार कर विद्वान अपर आयुक्त, नैनीताल के आक्षेपित आदेश दिनांक 29–09–2015 अपास्त किया जाता है तथा सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, अल्मोडा के निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 06–01–2014 की पुष्टि की जाती है। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(एस0रामास्वामी)
अध्यक्ष।

आज दिनांक: 30.11–2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(एस0रामास्वामी)
अध्यक्ष।